अपील क्रमाँक ए–131 / रासूआ / 06 / 10–3 / जबलपुर / 06

श्री संजीव चौरसिया, अपीलकर्ता
कायस्थ भवन,जीवाजीगंज,लश्कर,
जिला–ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।

विरूद्ध

श्री पी0के0 भटनागर, लोक सूचना अधिकारी
उप जिलाध्यक्ष,
जिला ग्वालियर,मध्यप्रदेश ।

आदेश

(दिनांक 13 जून, 2006)

यह अपील श्री संजीव चौरसिया ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने कलेक्टर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र दिनाक 17 अक्टूबर, 2005 को दिया था जिसमें यह जानकारी चाही थी कि शस्त्र लायसेंस के लिये जन भागीदारी शुल्क क्या है और प्रत्येक शस्त्र लायसेंस का कितना शुल्क जमा किया गया है । यह आवेदन प्राप्त होने के बाद अपीलकर्ता को दिनांक 11 नवम्बर 2005 को यह सूचना दी गई थी कि आवेदक को जन भागीदारी मत में राशि जमा करने हेतु अनुरोध किया जाता है । आवेदक स्वेच्छा से जिले के विकास में सहयोग हेतु आन्ध्रा बैंक में राशि जमा करते हैं इसके लिये शासन के व्दारा कोई दर निर्धारित नही की गई है ।

2. इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दिनांक 18 नवम्बर, 2005 को कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की थी । अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि जिले के विकास के लिये दानदाता स्वेच्छा से आन्ध्रा बैंक में राशि जमा करते हैं और इसका रिकार्ड अपर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में नही रहता है ऐसी स्थिति में जन भागीदारी में किस व्यक्ति व्दारा कितना पैसा जमा कराया गया है उसकी जानकारी अपीलार्थी संबंधित बैंक से प्राप्त कर सकते हैं । इस आधार पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील कलेक्टर के व्दारा निरस्त की गई ।

3. इस अपील पर दिनांक 13 जून, 2006 को सुनवाई की गई जिसमें अपीलकर्ता श्री संजीव चौरसिया एवं कलेक्टर कार्यालय, ग्वालियर के लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुये । अपीलकर्ता का यह कहना है कि किसी व्यक्ति से 2000

रूपये तो किसी व्यक्ति से 5000 रूपये लिये जाते हैं । इस संबंध में किस आधार पर जन भागीदारी की राशि निर्धारित होती है, उसके संबंध में जानकारी चाही है । लोक सूचना अधिकारी का यह कहना है कि जन भागीदारी के लिये कोई शुल्क या कोई राशि निर्धारित नही की गई है । यह प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है कि वह कितनी राशि दान देता है जो व्यक्ति जन भागीदारी में जिले के विकास के लिये राशि देना चाहता है, वह आन्ध्रा बैंक कें

संबंधित खाते में जमा करता है । अपीलकर्ता चाहे तो आन्ध्रा बैंक से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है । इस प्रकार की जानकारी कि किस व्यक्ति ने कितनी राशि जमा की है, उसका रिकार्ड कलेक्टर कार्यालय में नहीं रखा जाता है ।

4. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी व्दारा पारित आदेश से यह स्पष्ट है कि जन भागीदारी में किसी व्यक्ति ने कितनी राशि का योगदान दिया है, उसकी जानकारी कलेक्टर कार्यालय ग्वालियर में नहीं संधारित की जाती है । इस संबंध में शस्त्र अनुज्ञप्ति के लिये कितनी राशि आवेदक से ली जाये इस संबंध में न तो नियम है और न ही इसके लिये किसी राशि का ही निर्धारण किया गया है । इसके लिये आवेदक स्वेच्छा से योगदान देते हैं और बैंक में राशि जमा करते है । ऐसी स्थिति में जिस जानकारी का रिकार्ड संबंधित कार्यालय में नहीं रखा जाता है, उसकी जानकारी कलेक्टर कार्यालय या कलेक्टर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के व्दारा दिया जाना संभव नही है, अतः यह अपील निरस्त की जाती है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त

13 जून 2006